न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 23 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट
राजस्थान सराकर जरिये
श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।
जिला जैसलमेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण
1.जेठाराम पुत्र नखताराम
2.नारायणराम पुत्र नखताराम जातियान
दर्जी निवासीयान भैंसड़ा तहसील
भणियाना जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 105/2015 बनवान जेठाराम वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री टीकुराम गर्ग रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम कराड़ा के खसरा संख्या 196 रकबा 34.08 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 27.05.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम कराड़ा में समरी खसरा संख्या 191 रकबा 34.08 बीघा पर वादीगण के पूर्वजों के समय का कब्जा काश्त है। वक्त फाइनल सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट/वादीगण के पूर्वजों के नाम चली आ रही भूमि वर्तमान **खसरा संख्या 196 में रकबा 34.08 बीघा भूमि** को बिना किसी ठोस आधार के रेस्पोडेंट के पूर्वजों की समरी के मालिकाना हक की भूमि बिना कोई जांच किये पड़त सरकार (सिवायचक) में दर्ज कर दिया जो गलत था। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि संवत 2021 खसरा ग्राम कराड़ा (EX-1) के मुताबिक खसरा संख्या 191(मोर्चा वाला) रकबा 34.08 बीघा पर नखताराम (वादी संख्या 01 के पिता) वल्द हीराराम कौम दर्जी की बाजरी काश्त है और ट्रेसपासर प्रविष्ट हो इस ट्रेसपासर प्रविष्टि के संबंध में सेटलमेंट अधिकारियों के पास कोई आधार या कारण नहीं था। जबकि वह 2018 में लगान अदा इसी प्रकार ढालबांछ संवत 2018 गैर मुम्तकिल जागीर ग्राम कराड़ा में नखताराम पुत्र हीराराम दर्जी की बीघोड़ी (लगान) कायमी हुई है जो संवत 2017 के पेटे है। इसी तरह खसरा परिवर्तनशील संवत 2050 खसरा संख्या 196 रकबा 35 बीघा पर नारायणराम पुत्र जेठाराम (वादी संख्या 01) का कब्जा काश्त है। नोटिस बाबत अतिक्रमण (EXP-7) भी साबित करता है कि सन् 1993 में नारायणराम (वादी संख्या 02) का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त अतिक्रमी की हेसीयत से रहा है। इसी तरह धारा 91 आर एल आर के तहत जारी नोटिस (EXP-6) साबित करता है कि नारायणराम का खसरा संख्या 196 में 35 बीघा पर कब्जा काश्त संवत 2040 में रहा है। इसी तरह (EXP-7) नोटिस से साबित है कि संवत 2060 में खसरा संख्या 191 में जेठाराम (वादी संख्या 01) का कब्जा काश्त रहा है। मौखिक साक्ष्य वादी जेठाराम, धनसिंह, बखतसिंह,गजेसिंह के बयानों से साबित है कि समरी सेटलमेंट से वादीगण के पिता नखताराम की खातेदारी थी जिसे वर्तमान सेटलमेंट में बिना किसी आधार या कारण के ट्रेसपासर दर्ज कर सिवायचक दर्ज कर दी। वादीगण के पिता नखताराम और और उसकी फोतेदगी के पश्चात वादीगण का वादग्रस्त खसरा संख्या 196 पर लगातार कब्जा काश्त रहना साबित है जिसका खण्डन राजकीय गवाह पटवारी ने भी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर जो अपीलाधीन निर्णय दिया है वह उचित है। उसमें किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 105/2015 बनवान जेठाराम वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

22/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner